प्रदेश में क्राफ्ट डिजाइन में डिग्री कोर्स शुरू करने को बनेगा कानून

एमएसएमई विभाग ने तैयार किया ड्राफ्ट, न्याय-वित्त व नियोजन विभाग कर रहा परीक्षण

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में जल्द ही एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत क्राफ्ट डिजाइन में डिग्री कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए कानून बनाने की तैयारी है। इन पाठ्यक्रमों के संचालन और संस्थानों को मान्यता देने की जिम्मेदारी यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (यूपीआईडी) को दी जाएगी। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने ड्राफ्ट तैयार करके उसे परीक्षण के लिए शासन के न्याय, वित्त और नियोजन विभाग को भेज दिया है।

योगी सरकार ने एक जिला-एक उत्पाद योजना में प्रत्येक जिले के लिए उत्पाद तय कर दिए हैं। इसके लिए बजट में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गई है। अभी ये उत्पाद परंपरागत ढंग से ही तैयार किए जाते हैं। इन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने के कोई खास प्रयास नहीं होते। यही वजह है कि बनारस का सिल्क हो या निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी या कोई अन्य ओडीओपी उत्पाद, इन क्षेत्रों की ओर पढ़े-लिखे नौजवान आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। नतीजतन, उत्पादों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्राफ्ट्स में डिग्री कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। चूंकि शिक्षा समवर्ती कानून में है, इसलिए राज्य सरकार अधिनियम बनाकर इन पाठ्यक्रमों को शुरू करवा सकती है। उसके बाद इन पाठ्यक्रमों की मान्यता देश-विदेश सभी जगह हो जाएगी। प्रस्तावित अधिनियम के

कैबिनेट की सहमति के बाद विधानमंडल में रखा जाएगा मसौदा

अनुसार, यूपीआईडी प्रवेश लेने, पढ़ाई व प्रशिक्षण कराने और इम्तिहान लेने के लिए अधिकृत होगा। यूपीआईडी ही विद्यार्थियों को डिग्री देगा। यूपीआईडी की स्वायत्तता को पूरी तरह से बनाए रखते हुए उसे अधिनियम के माध्यम से ये अधिकार दिए जाएंगे। यूपीआईडी प्रदेश के विभिन्न जिलों व शहरों में इन पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थानों को मान्यता भी दे सकेगा। इसके लिए अधिनियम में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत तय होंगे। अधिनियम के आधार पर विस्तृत नियमावली बाद में जारी की जाएगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के अनुरोध के साथ बताया कि उच्चस्तर से सहमति लेने केबाद ही अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया है। न्याय, वित्त और नियोजन विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। प्रयास है कि जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में चला जाए ताकि विधानसभा व विधानपरिषद से इसे पास कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जा सके।

ओडीओपी के उत्पादों को और बेहतर बनाने के लिए फैसला

लखनऊ समेत आठ जिलों में खुलेंगे डिजाइन स्टूडियो

लखनऊ। लखनऊ समेत प्रदेश के आठ जिलों में डिजाइन स्टूडियो खोले जाएंगे। एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला किया गया है। ये स्टूडियो यूपीआईडी (उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन) से संबद्ध होंगे। बेहतर डिजाइन के उत्पाद तैयार करने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के साथ एमओयू करने की भी योजना है।

स्टूडियो यूपीआईडी से होंगे संबद्ध, डिजाइनिंग के लिए जाने-माने संस्थानों से होगा एमओयू

यूपी के आठ जिलों में डिजाइन स्टूडियो खोलने का प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग ने वित्त और न्याय विभाग को भेज दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, झांसी, सहारनपुर, आगरा, मुरादाबाद और गोरखपुर में स्टूडियो खोले जाएंगे। इन स्टूडियो का मुख्य उद्देश्य डिजाइन को कारीगरों व हस्तशिल्पियों के द्वार तक पहुंचाना है। विभिन्न उत्पादों की डिजाइन के क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं कारीगरों व हस्तशिल्पियों को ट्रेनिंग देंगी। इन स्टूडियो में इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा, ताकि उनकी मांग के अनुरूप उत्पाद और दक्ष श्रमिक तैयार किए जा सकें। एमएसएमई विभाग के अनुसार, इसका फायदा प्रदेश के 64 लाख से ज्यादा उद्यमियों को मिलेगा। यूपीआईडी स्टूडियो में हस्तशिल्पियों को टूल किट्स भी वितरित करेगी। ताकि, वे आधुनिक ढंग से कम लागत में बेहतर उत्पाद तैयार कर सकें।

विभाग का प्रयास है कि जिलास्तर के ये छोटे-छोटे हस्तशिल्पी अपने उत्पादों की गुणवत्ता की वजह से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें। संबंधित जिले जिस ओडीओपी उत्पाद के लिए चयनित किए गए हैं, स्टूडियो में उन्हीं उत्पादों केडिजाइनर्स और विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग लेने वालों को यूपीआईडी प्रमाणपत्र भी देगी।